भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–138 / 2018–19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
07.12.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर, का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि 5.1.19 को निर्धारित की जाती है। अभिलेख 5.1.19 को उपस्थापित करें । 7.12.18 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
05.01.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** के पत्रांक--62(B), दिनांक–29.12.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.01.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक / आवेदिका **लक्ष्मी नारायण महतो**, पिता / पति– **श्री रामदीप महतो**, जाति– **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम– **ईचापीड़**, थाना– **मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। केवाला द्वारा क्रय किया हुआ जमीन मौजा– **नन्दपुर**, थाना– **मनोहरपुर**, थाना नं0– **85**, खाता नं०– **334**, प्लॉट नं0– **639 / 3145**, रकवा– **0.05 ए0**, आवसीय भूमि क्रेता **अमरनाथ महतो**, पिता / पति– **श्री हरिचरण महतो**, जाति– **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम– **घाघरा**, थाना– **मनोहरपुर**, जिला– **प० सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक / आवेदिका **लक्ष्मी नारायण महतो**, पिता / पति– **श्री रामदीप महतो**, जाति– **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम– **ईचापीड़**, थाना– **मनोहरपुर**, जिला **प० सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता का थाना– **मनोहरपुर**, जिला–**प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति– **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को **मनोहरपुर** अंचल अंतर्गत रकवा– **3.45 ए0**, अवशेष भूमि बचता है । अंचल अधिकारी, **मनोहरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता **लक्ष्मी नारायण महतो**, पिता / पति– **श्री रामदीप महतो**, जाति– **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)**, ग्राम– **ईचापीड़**, थाना– **मनोहरपुर**, को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि **2,50,000 (दो लाख पचास हजार)** रूपये में बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित 5.1.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	